



चुनाव अधिकारी कार्यालय

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: 14() चु.अ.का./मदसविवि/2018/2361-89

दिनांक: 21.8.18

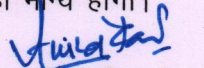
आचार संहिता

छात्रसंघ चुनाव 2018

छात्रसंघ चुनाव-2018 के दौरान विभिन्न पदों के प्रत्याशियों, उनके समर्थकों एवं समस्त विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित आचार संहिता की पालना अनिवार्य है।

1. प्रत्याशी, उनके समर्थक तथा अन्य विद्यार्थी माननीय कुलपति, प्राध्यापकों, विश्वविद्यालय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य छात्र व छात्राओं के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे।
2. प्रत्याशी तथा उनके समर्थकों द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को कोई हानि नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. प्रत्याशी तथा उनके समर्थक विश्वविद्यालय के प्रांगण, दीवारों, भवनों, स्तम्भों, वाहन-स्थलों, कक्षाओं, शौचालयों, कॉमन रूम, पुस्तकालयों, कैंटीन, छात्रावासों तथा गैलरी आदि का चुनाव-प्रचार हेतु प्रयोग नहीं करेंगे अर्थात् उन स्थानों पर नारे लिखना, पोस्टर चिपकाना, संकेत अथवा चित्र बनाना सर्वथा वर्जित है। प्रत्याशी अन्य सार्वजनिक व निजी दीवारों पर अपना लेखन-प्रचार नहीं करेगा। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। अलग से निर्धारित स्थान पर ही प्रचार-प्रसार हो सकेगा।
4. विश्वविद्यालय परिसर में प्रत्याशी व उनके समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार के ध्वनि-प्रसारण यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
5. प्रत्याशी तथा उनके समर्थक, मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे तथा अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी प्रत्याशी, समर्थक अथवा कोई भी छात्र किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, हथियार, अस्त्र, लाठी, चाकू, लोहे की छड़, हॉकी स्टिक आदि के साथ विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
6. मतदान के लिये परिचय-पत्र अनिवार्य है। प्रत्येक प्रत्याशी, उसके समर्थक तथा अन्य छात्र एवं छात्राएँ अपने परिचय-पत्र सदैव साथ रखेंगे तथा विश्वविद्यालय प्रशासन/जिला प्रशासन द्वारा मांगने पर उसे तुरन्त दिखायेंगे।
7. प्रत्याशी एवं उनके समर्थक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चुनाव को निष्पक्ष एवं निर्विघ्न संचालन में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे।
8. प्रत्याशी एवं विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि वे प्रशासन को पूर्ण सहयोग करेंगे।
9. कोई भी प्रत्याशी तथा उनके समर्थक चुनाव सम्पन्न होने तक विश्वविद्यालय प्रांगण में बाहरी व्यक्तियों को नहीं लायेंगे।
10. विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव के चुनाव खर्च के लिए रु. 5000/- की सीमा तय की गयी है, इस सीमा में उम्मीदवार व उसके समर्थकों द्वारा किए गए खर्च शामिल हैं।
11. उम्मीदवारों को अपने खर्च का हिसाब चुनाव परिणाम के 14 दिन की अवधि में पेश करना होगा। अन्यथा विजयी प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित प्रत्याशी को 3 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
12. प्रत्याशी व उसके समर्थक या संगठन जनता से किसी प्रकार का कोई चन्दा नहीं उगाहेगा तथा ऐसा करने पर उसे चुनाव लड़ने के वर्ष से 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
13. खुला प्रचार चुनाव की तिथि के एक दिन पहले अर्थात् 30 अगस्त 2018 को दोपहर 3:00 बजे से बंद हो जायेगा।

उपर्युक्त आचार-संहिता के उल्लंघन के दोषी प्रत्याशियों का नामांकन अंतिम चुनाव परिणाम तक निरस्त किया जा सकेगा। ऐसे दोषी विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी पृथक् से की जावेगी। चुनाव कार्यक्रम के दौरान किसी भी विवाद की स्थिति में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही मान्य होगा।


चुनाव अधिकारी

दिनांक 21 अगस्त, 2017

छात्रसंघ चुनाव 2018